जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ()जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2022/डी– 1584 दिनांकः– 28-09-2022

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 173वीं बैठक दिनांक 22.09.2022 को अपरान्हः02.00 बजे श्री रवि जैन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ''मंथन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	173:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 172वीं बैठक दिनांक 02.09. 2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 172वीं बैठक दिनांक 02.09.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिए गए।
2.	2	173:2	राजकीय कन्या महाविद्यालय विद्याधर नगर को विद्याधर नगर के सेक्टर नं0 4 में पुराने जविप्रा कार्यालय की भूमि क्षेत्रफल 4290 व.मी. को नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	जोन उपायुक्त द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय विद्याधर नगर को विद्याधर नगर के सेक्टर नं0 4 में पुराने जविप्रा कार्यालय की भूमि क्षेत्रफल 4290 व.मी. को नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूमि का आवंटन करने का निर्णय सर्व सम्मति से किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये की जोन द्वारा आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से उक्त भूमि हेतु सहमति प्राप्त कर ली जावें।
3	8	173:3	जविप्रा की योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या ई–100 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 48.24 वर्गमीटर का आवंटन करने बाबत्।	जोन उपायुक्त द्वारा जविप्रा की योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या ई–100 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 48.24 वर्गमीटर का आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-30...
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- ...2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)

उप. आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				चूंकि उक्त क्षेत्रफल की भूमि का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढ़े हुए क्षेत्रफल 48.24 व.मी. को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4	11	173:4	जविप्रा जयपुर की आवासीय योजना बालमुकुन्दपुरा में भूखण्ड संख्या बी–167 क्षेत्रफल 90 व.मी. का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 13.50 व.मी. भूमि के आवंटन बाबत।	जोन उपायुक्त द्वारा जविप्रा जयपुर की आवासीय योजना बालमुकुन्दपुरा में भूखण्ड संख्या बी–167 क्षेत्रफल 90 व.मी. का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुए क्षेत्रफल 13.50 व.मी. भूमि के आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। चूंकि उक्त क्षेत्रफल की भूमि का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल 13.50 व.मी. आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
5	11	173:5	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 9601/2006 व 6998/06 गौतम एस्टेट प्रा. लि. बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प.6(28)नविवि/3/05 दिनांक 12.3.12 की पालना में अवाप्त भूमि के बदले पूर्व में आवंटन पत्र कमांक 1664 से 1667 दिनांक 17.07.2013 को जारी किये गये थे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा पूर्व आवंटन पत्र कमांक 1664 से 1667 दिनांक 17.07.2013 को जविप्रा में समर्पण करने पर पूर्व आवंटन में आंशिक संशोधन करते हुए एजेण्डा अनुसार संशोधित आवंटन पत्र जारी किये जाने बाबत्।	जोन उपायुक्त द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 9601/2006 व 6998/06 गौतम एस्टेट प्रा.लि. बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प.6(28)नविवि/ 3/05 दिनांक 12.3.12 की पालना में अवाप्त भूमि के बदले पूर्व में आवंटन पत्र कमांक 1664 से 1667 दिनांक 17.07.2013 को जारी किये गये थे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा पूर्व आवंटन पत्र कमांक 1664 से 1667 दिनांक 17.07.2013 को जविप्रा में समर्पण करने पर पूर्व आवंटन में आंशिक संशोधन करते हुए एजेण्डा अनुसार संशोधित आवंटन पत्र जारी किये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। सेज परियोजना में अवाप्त भूमि के संबंध में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6898/06 का निर्णय दिनांक 26.09.2008 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित कर मुख्य सचिव महोदय कि अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति (मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव यू.डी.एच एवं प्रमुख शासन सचिव राजस्व) गठन के निर्देश दिये। उक्त कमेटी द्वारा सभी पक्षो को सुनकर

उप॰ आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

				रिपोर्ट दिनांक 22.10.2009 राज्य सरकार को प्रेषित की रिपोर्ट में "The converted land under consideration 35.64 acres may be surrendered by Mahindra World City to JDA for allotment to Gautam Estate out of Non Processing Area of SEZ Projet (south east corner of SEZ), as shown marked in the Map तत्समय जोनल प्लान स्वीकृत नहीं था जोनल प्लान स्वीकृत होने पर यह स्थिति सामने आई की उक्त आवंटन पत्रो में वर्णित भूमि कमेटी की रिपोर्ट अनुसार कॉर्नर स्थिति में नहीं है। अब चूंकि सड़क का अलाईनमेंट भी निर्धारित हो चुका है। अतः कमेटी द्वारा दिये गए निर्देशों के कम में समिति द्वारा विचार विमर्श कर एजेण्डा अनुसार संशोधित आवंटन पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। आवंटन की शर्ते पूर्ववत ही रहेगी।
6	11	173:6	ग्राम रामपुरा ऊंती तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.95 हैक्ट. जविप्रा की भूमि से ग्राम श्योसिंहपुरा के खसरा नम्बर 421/870 रकबा 0.95 हैक्ट. से विनियम करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा ग्राम रामपुरा ऊंती तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.95 हैक्ट. जविप्रा की भूमि से ग्राम श्योसिंहपुरा के खसरा नम्बर 421/870 रकबा 0.95 हैक्ट. से विनियम करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन प्रस्तावानुसार विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)

7	12	173:7	जविप्रा की आवासीय योजना हाथोज विस्तार योजना में मैसर्स ए एण्ड ए टाउनशिप प्रा. लि. कम्पनी को पूर्व में आवंटित भूमि फेज–ए 5400 व.मी. भूमि के बदले विनिमय में फेज–सी से लगती हुई नव सृजित भूखण्ड संख्या आरबी–1 से आरबी–21 कुल क्षेत्रफल 5400 व.मी. आवंटन करने बाबत्।	जोन उपायुक्त द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना हाथोज विस्तार योजना में मैसर्स ए एण्ड ए टाउनशिप प्रा.लि. कम्पनी को पूर्व में आवंटित भूमि फेज–ए 5400 व.मी. भूमि के बदले विनिमय में फेज–सी से लगती हुई नव सृजित भूखण्ड संख्या आरबी–1 से आरबी–21 कुल क्षेत्रफल 5400 व.मी. आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। पूर्व में आवंटित 5400 व.मी. भूमि पर राजस्व ग्रामों की सीमा का विवाद होने के कारण वैकल्पिक भूमि का आवंटन किया गया जो कि पूर्वानुसार चौड़ाई की सड़क पर नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2019 यथा " Keeping in View the nature of grievance and prayer addressed, instant writ application is disposed off with direction to the respondents to do the needful in compliance of the decision arrived by the Pre-LPC meeting dated 10th January 2018 इस निर्णय के विरूद्व जेडीए ने माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में अपील प्रस्तुत की माननीय डबल बेंच द्वारा दिनांक 22.10.19 को दिये गये निर्णय में जेडीए एवं प्रत्यर्थी की जोइंट इस्पेक्शन के निर्देश दिये। उपायुक्त जोन द्वारा विवाद समाप्त करने के लिए परिवादी की सहमति से पूर्व में आवंटित 3100 एवं 2300 वर्गमीटर के दो भूखण्डों के बजाए भूखण्ड संख्या आरबी–1 से 9 एवं आरबी –10 से 21 कुल 21 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 5400 वर्गमीटर आवंटित करने हेतु प्रस्ताव दिया। इस कम में पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में एजेण्डा अनुसार संशोधन किया जा चुका है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार विनिमय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया कि यदि न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन हो तो विनिमय से पूर्व विड्रा करवाना सुनिश्चित करें।

सचिव एल.पी.सी.
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

8	13	173:8	Indian Medical Trust को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ ग्राम–अचरोल, तहसील–आमेर में जविप्रा की संशोधित अनुमोदित योजना साईन्स टेक सिटी में भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 404164.48 वर्गमीटर संस्थानिक भूखण्ड में आवंटन बाबत्।	जोन उपायुक्त द्वारा Indian Medical Trust को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ ग्राम–अचरोल, तहसील–आमेर में जविप्रा की संशोधित अनुमोदित योजना साईन्स टेक सिटी में भूखण्ड सं. 4 क्षेत्रफल 404164.48 वर्गमीटर संस्थानिक भूखण्ड में आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन–13 की रिपोर्ट के अनुसार उक्त योजना पूर्ण विकसित नहीं है एवं भूमि उबड़ खाबड़ है साथ ही प्रार्थी द्वारा डीएलसी के 10 प्रतिशत दर पर आवंटन की मांग की गई है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को भू–आवंटन नीति–2015 के क्रम में आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
9	14	173:9	ग्राम तितरिया तहसील चाकसू के खसरा न. 3057/2 में से राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तितरिया तह. चाकसू को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	जोन उपायुक्त द्वारा ग्राम तितरिया तहसील चाकसू के खसरा न. 3057/2 में से राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तितरिया तह. चाकसू को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 4 व 5 कुल क्षेत्रफल 9134.46 व.मी. भूमि आवंटन से पूर्व सम्बन्धित संस्थान से सहमति प्राप्त कर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त / अभियांत्रिकी-I, II, III,IV / नगर-आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन-1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण-प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

<u>उपस्थिति पत्र</u> परिशिष्ठ "अ"

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 173वीं बैठक दिनांक 22.09..2022 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूची:—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	LPC में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री रवि जैन	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	
2.	श्री उज्ज्वल राठौड	सचिव	सदस्य	
3.	श्री ओंकार मल राजोतिया	निदेशक (वित्त)	सदस्य	
4.	श्री एम.के. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी–II)	सदस्य	
5.	श्री विनय कुमार दलेला	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमती विनीता सिंह	अति॰ आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्री आनन्दी लाल वैष्णव	अति॰ आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव	
8.	श्री जुगल किशोर मीणा	अति॰ आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	
9.	श्री बाबू लाल गोयल	अति. आयुक्त (पीआरएन/पूर्व)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	अति॰ निदेशक (राजस्व) एवं विशेषाधिकारी (आरएण्डएम)	विशेष आमंत्रित	
11.	श्री नवल किशोर मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित	
12.	श्रीमती शैफाली कुशवाह	उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित	
13.	श्री शेर सिंह लुहाडिया	उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित	
14.	श्री राष्ट्रदीप यादव	उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित	
15.	श्री हरफूल पंकज	उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित	
16.	Nishe	DC-13		
17.	शिवदान गुर्जर	DC-LPC		
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
25.				